रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 1999/चैत्र 18, 1921
No. 85] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 1999/CHAITRA 18, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1999

फा. सं. 01/85/40/0074/ए एम-97/डीईएस-2/26.—मैसर्स सेन्ट्रल पल्प मिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली को रु. 5,65,65,000 (15,71,250,00 अमेरिकी डालर) के निर्यात दायित्व सहित 4,11,30,468 रुपए (11,42,513,00 अमेरिकी डालर) लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए एक अग्रिम लाइसेंस सं. 01000962 दिनांक 10-6-97 जारी किया गया था और डीईईसी बुक संख्या 220814 दिनांक 10-6-97 (भाग-1 आयात और भाग-2 निर्यात) भी जारी की गई थी जिसकी प्रारम्भिक वैधता अवधि लाइसेंस जारी किये जाने की तारीख से 12 महीने थी और इसकी अवधि 9-6-99 तक बढ़ाई गयी थी, फर्म ने अब इस आधार पर कि उनका उक्त लाइसेंस अस्थानस्थ हो गया है अग्रिम लाइसेंस सं. डुप्लीकेट 01000962 दिनांक 10-6-97 की विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है, फर्म ने आवश्यक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उक्त अग्रिम लाइसेंस मुम्बई सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत था और जिसका आंशिक उपयोग कर लिया गया था। हलफनामे में आशय की एक घोषणा भी की गयी है कि यदि उक्त लाइसेंस बाद में मिल जाता है या इसका पता चल जाता है तो इसे जारी करने वाले प्राधिकारी को वापिस कर दिया जाएगा।

2. इस बात से संतुष्ट होने पर कि अग्रिम लाइसेंस मूल विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गयी है, अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देते हैं कि आवेदक को डुप्लीकेट अग्रिम लाइसेंस की (विनिमय नियंत्रण प्रति) जारी कर दी जाए। मैं विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मूल अग्रिम लाइसेंस संख्या 01000962 दिनांक 10-6-97 (केवल विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि) को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

3. इसे संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ए. के. एम. चाकणकर, उप महानिदेशक,
विदेश व्यापार कृते महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Foreign Trade)

ORDER

New Delhi, the 7th April, 1999

F.No. 01/85/40/0074/AM-97/DES-II/26.—M/s. Central Pulp Mills Ltd., New Delhi were granted an Advance Licence No. 01000962 dated 10-6-97 for CIF value of Rs. 4,11,30, 468/- (US$11,42,513,00) with an Export obligation of Rs. 5,65,65,000, (US$ 15,71,250,00) alongwith DEEC Book No. 220814 dated 10-6-97 (Part I-Import & II-Export) with an Initial validity of 12 months from the date of issue of the Licence and further revalidated upto 09-06-99. Now the firm have applied for grant of duplicate issuance for Exchange Control Copy of advance licence No. 01000962 dated 10-6-97 on the ground that the same have been misplaced. The firm have furnished necessary Affidavit according to which the aforesaid Advance Licence was registered with Mumbai Customs Authority and was utilised partly. A declaration has also been incorporated in the Affidavit to the effect that if the said Licence is traced or found later on, the same will be returned to the Issuing Authority.

2. On being satisfied that the Original Exchange Control copy of advance licence have been lost/misplaced, the undersigned directed that duplicate Advance Licensed (Exchange Control Copy) should be issued to the applicant. I also, in exercise of the powers conferred in sub-clause (4) of Clause 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, hereby cancel the Original Advance Licence No. 01000962 dated 10-6-97 (Exchange Control Copy only).

3. This issues with the approval of Jt. Director General of Foreign Trade.

A.K. M. CHAKANKAR, Dy. Director General of Foreign Trade

For Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054